न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– **श्री सुनील कुमार-I**, (RAS)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– **156/2023** GCMS 2023/415

प्रार्थी:–

1. अखिल भारतीय वैष्णव ब्राह्मण शिक्षण न्यास, शास्त्री नगर दादाबाड़ी कोटा, राजस्थान जरिये अध्यक्ष

अप्रार्थीगण:–

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामन सिटी
2. शिवकरण पुत्र शिवकिशन जाति माहेश्वरी नि. महावीर नगर मदनगंज किशनगढ़
3. दिलीप सिंह पुत्र भवानी सिंह जाति राजपूत नि. गुढ़ा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू
4. पवन कुमार तिवारी पुत्र मनोहरचंद तिवारी, जाति ब्राह्मण नि. निम्बड़ी कलां, तह. डेगाना
5. राकेश दवे पुत्र सुरेंद्र कुमार, जाति ब्राह्मण नि. कुचामन सिटी
6. रिछपाल कड़वा पुत्र जीवणराम जाति जाट. नि. गोपालपुरा
7. शंभू पुत्र नरसीलाल जाति कुमावत निवासी कुचामन सिटी

प्रार्थना पत्र रिकॉर्ड व नक्शा सुधार हेतु अन्तर्गत धारा 136, 131, 132 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 व 151 सीपीसी

उपस्थित:– श्री ऋषभ शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर।
श्री सुधीर कौशिक अधिवक्ता अप्रार्थी स. 2 की ओर से।
श्री अशोक पुरी अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 6 की ओर से।

–:निर्णय :–

दिनांक :– 20/02/2025

वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि ग्राम टोरड़ा पटवार हल्का रूपपुरा टोरड़ा के खसरा नंबर 1210/1099 रकबा 0.3 है. ख.नं. 1212/468 रकबा 0.06 है. ख.नं. 1214/479 रकबा 0.1254 है. कुल खसरा 3 कुल रकबा 0.4854 है. की आई हुई है जिसका [illegible] नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। ग्राम टोरड़ा पटवार हल्का रूपपुरा टोरड़ा के खसरा नंबर 1210/1099 रकबा 0.3 है. ख.नं. 1212/468 रकबा 0.06 है. ख.नं. 1214/479 रकबा 0.1254 है. कुल खसरा 3 कुल रकबा 0.4854 है. की भूमि प्रार्थी द्वारा तत्कालीन विक्रेता खातेदार अप्रार्थीगण सं. 2 शिवकरण पुत्र शिवकिशन द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विलेख से खरीद की गई है। उक्त भूमि के पुराने खसरा नंबर 468, 469, 479 थे जिसके बाद जरिये

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.07 12:43:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी (डीडवाना-कुचामन) सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

नामांतरण सं. 468 दिनांक 25.05.2015 को विभाजन द्वारा उक्त खसरों का विभाजन कर दिया गया है। जिसमें राकेश दवे पुत्र सुरेंद्र कुमार, शंभु पुत्र नरसीलाल खसरा नंबर 469 के खातेदार व शिवकरण पुत्र शिवकिशन को खसरा नंबर 468, 479, 1099/469 के खातेदार घोषित किया गया है। इसके पश्चात् खसरा नंबर 468, 479, 1099/469 का बंटवारा जरिये नामांतरण सं. 707 दिनांक 19.02.2020 द्वारा करके नये खसरा नंबर 1212/468, 1214/479 1210/1099 में प्रार्थी को खातेदार घोषित किया गया है। बेचान के समय से ही प्रार्थी अपने हक हिस्से की भूमि पर निर्विवाद रूप से काबिज चला आ रहा है व अपने हक हिस्से पर सुरक्षा की दृष्टि से चारदीवारी बनवा रखी है। उक्त खसरा नंबरान की भूमि का बंटवारा करते समय जिस स्थान पर काबिज़ है उसके अलावा अन्य जगह पर नक्शे में प्रार्थी का हिस्सा तरमीम कर दिया। प्रार्थी व अप्रार्थीगण जमाबंदी में दर्ज अपने हक हिस्से के रकबे अनुसार ही काबिज है। प्रार्थी द्वारा नक्शे में दुरूस्ती की प्रार्थना की गई है। अगर न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर नक्शे में दुरूस्ती की जाती है तो ना तो प्रार्थी का रकबा कम होगा ना अप्रार्थीगण का रकबा कम होगा। प्रार्थी तथा अप्रार्थीगण का राजस्व रिकॉर्ड के रकबे अनुसार कब्जा काश्त का नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है जो परिशिष्ट 'क' है। जिसमें प्रार्थी का कब्जा काश्त अलग स्याही से मार्क ABCD में दर्शित है। नये खाता सं. 217 में काश्तकार का नाम अखिल भारतीय वैष्णव ब्राह्मण शिक्षण न्यास, शास्त्री नगर दादाबाड़ी कोटा, राजस्थान जरिये अध्यक्ष सतीष वैष्णव पुत्र भगवानदास वैष्णव के नाम से दर्ज है। चुंकि काश्तकार एक न्यास है जिसके अध्यक्ष चुनाव सालाना होते हैं तथा प्रतिवर्ष अध्यक्ष बदल जाते हैं। जमाबंदी में न्यास के नाम के साथ अध्यक्ष का नाम होने से विभिन्न विधिक एवं कार्यालय कार्यवाहियों में अध्यक्ष के सालाना परिवर्तन होने से समस्या आती है। ग्राम टोरड़ा पटवार हल्का रूपपुरा टोरड़ा कुचामन सिटी तहसील कुचामन खाता सं. 217 में अखिल भारतीय वैष्णव ब्राह्मण शिक्षण न्यास शास्त्रीनगर दादाबाड़ी कोटा राजस्थान जरिये अध्यक्ष सतीश वैष्णव पुत्र भगवानदास वैष्णव के नाम की जगह सिर्फ अखिल भारतीय वैष्णव ब्राह्मण शिक्षण न्यास शास्त्रीनगर दादाबाड़ी कोटा राजस्थान दर्ज किया जाकर तथा राजस्व रिकॉर्ड में नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत परिशिष्ट 'क' नजरी नक्शे के अनुसार दुरूस्ती किया जाने की इस्तदुआ दी है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1, 3, 4, [illegible] 7 को नोटिस होकर प्राप्त। आवाजें लगाई गई। अनुपस्थित है। इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अधिवक्ता सुधीर कौशिक द्वारा अप्रार्थी सं. 2 की ओर से व अधिवक्ता श्री अशोक पुरी द्वारा अप्रार्थी सं. 6 की ओर वकालतनामा पेश किया गया। अप्रार्थी सं. 6 की ओर से जवाब पेश किया गया जिसके अनुसार ग्राम टोरड़ा के खसरा नंबर 469 अप्रार्थी सं. 06 की सहखातेदारी का अवस्थित है। परिशिष्ट 'क' में ABCD दर्शित की गई है उसमें कहीं पर भी कोई रकबे का अंकन नहीं किया गया है कि कौनसे खसरे में से कितना रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.07 12:43:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

दुरूस्त करवाना चाहता है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी सं. 06 की सहखातेदारीशुदा भूमि खसरा नंबर 469 में परिशिष्ट 'क' अतिक्रमण करते हुये दर्शित किया गया है जिसे किसी भी प्रकार से प्रार्थी तरमीम करवाने का अधिकारी नहीं है। अप्रार्थी सं. 2 की ओर से जवाब पेश किया गया जिन्होंने No Objection किया। तहसीलदार द्वारा जवाब दावा पेश किया गया जिसके अनुसार ग्राम टोरड़ा के नामा. सं. 707 के संलग्न दस्तावेजों के अनुसार आपसी सहमति से जोत विभाजन हुआ है। तदानुसार ही नक्शे में तरमीम की हुई है। अतः नियमानुसार प्रार्थीगण को अनुतोष दिया जाना उचित नहीं है।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं वकील अप्रार्थी ने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। ग्राम टोरड़ा पटवार हल्का रूपपुरा टोरड़ा कुचामन सिटी तहसील कुचामन खाता सं. 217 में अखिल भारतीय वैष्णव ब्राह्मण शिक्षण न्यास शास्त्रीनगर दादाबाड़ी कोटा राजस्थान जरिये अध्यक्ष सतीश वैष्णव पुत्र भगवानदास वैष्णव के नाम की जगह सिर्फ अखिल भारतीय वैष्णव ब्राह्मण शिक्षण न्यास शास्त्रीनगर दादाबाड़ी कोटा राजस्थान दर्ज किया जाना व राजस्व रिकॉर्ड में नक्शा परिशिष्ट 'क' नजरी नक्शे अनुसार दुरूस्ती किया जाना उचित प्रतीत नहीं होने से प्रार्थना पत्र अस्वीकार योग्य पाया गया।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20/02/2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार I.RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.07 12:43:41 IST
Reason: SelfAttested